

संख्या:- शिक्षा-उच्चतर(21)वी(15)15/2018-वी.भाग-1  
 शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),  
 हिमाचल प्रदेश, शिमला-1  
 Tel:0177&2653120, Extn-234, E-mail:genbr@rediffmail-com, Fax:2812882

दिनांक शिमला-1 दी अक्टूबर, 2018

सेवा में

1. समस्त प्राचार्य,  
राजकीय महाविद्यालय/संस्कृत महाविद्यालय,  
हिमाचल प्रदेश
2. समस्त उप-शिक्षा निदेशक(उच्चतर),  
हिमाचल प्रदेश
3. समस्त प्रधानाचार्य/मुख्यध्यापक,  
राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक/ उच्च विद्यालय,  
हिमाचल प्रदेश

विषय:- स्वर्णिम हिमाचल पत्र के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के दिशा निर्देशों के अनुमोदन बारे।

उपरोक्त विषय पर, सरकार से प्राप्त पत्र और इस निदेशालय के पत्र संख्या सम दिनांक 26-07-2018 की निरन्तरता में, उक्त पत्र में निर्दिष्ट दिशा निर्देशों (क) से (घ) तक के अतिरिक्त निम्नलिखित दिशा-निर्देश को भी जोड़ दिया जाए:-

"(ड) नामपट्ट पर नाम लिखवाने के लिए 5000 रुपये की राशि प्रस्तावित है"

अतः सरकार से प्राप्त पत्रनुसार आपको आदेश दिये जाते हैं कि अपने-अपने शिक्षण संस्थानों में गौरव पट्ट पर नाम लिखवाने हेतु उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करें।

इसी तरह समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय/ राजकीय संस्कृत महाविद्यालय, हिमाचल प्रदेश, को आदेश दिये जाते हैं कि अपने-अपने महाविद्यालयों में गौरव पट्ट पर नाम लिखवाने हेतु उपरोक्त अनुसार कार्यवाही करें।

इसके अतिरिक्त समस्त उप-शिक्षा निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, को आदेश दिये जाते हैं कि वह अपने-अपने जिला की समस्त राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं और राजकीय उच्च पाठशालाओं में उपरोक्त अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझें।

(अमरजीत कुमार शर्मा),  
 शिक्षा निदेशक (उच्चतर),  
 हिमाचल प्रदेश

Endst. No: - EDN-U (G-IIR) Misc. 2018/- 6097  
 Office of the Deputy Director of Higher Education,  
 UnaDistt. Una (HP).

Dated Una 18 October, 2018

All the Principals/ Headmasters of Govt.Senior Secondary Schools  
 / Govt. High Schools in Una Distt.for information and necessary action.

Dy. Director of Higher Education,  
 Una Distt. Una (HP).

संख्या-- शिक्षा--उच्चतर(21)वी(15)15/2018-वी  
शिक्षा निदेशालय (उच्चतर),  
हिमाचल प्रदेश, शिमला-1  
Tel:017782653120, Extn-234, E-mail:genbr@rediffmail-com, Fax 2812882

26 JUL 2018

दिनांक शिमला-1 दी

जुलाई, 2018

सभा में

समस्त उप-निदेशक (उच्चतर शिक्षा),  
हिमाचल प्रदेश

विषय:-

स्वर्णिम हिमाचल पत्र के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के दिशा निर्देशों के अनुमोदन बारे।

उपरोक्त विषय पर, सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, से प्राप्त पत्र संख्या:ई0डी0एन0-वी-छ(10)9/2012-1-लूज दिनांक 03-07-2018, जिसमें उन्होंने स्वर्णिम हिमाचल के अन्तर्गत "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" योजना के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित दिशा निर्देशों की स्वीकृति प्रदान की है और उस पर आवश्यक कार्यावाही करने वाले चाहा है :-

- (क) सम्बन्धित स्कूल इस योजना का प्रारम्भ स्थानीय जन प्रतिनिधि से करवाएंगे। प्रथम प्राथमिकता वर्तमान विधायक की ही रहेगी।
- (ख) यदि किसी स्कूल से उस क्षेत्र के वर्तमान सांसद भी छात्र रहें हों तो उस दृष्टि से सांसद की प्राथमिकता रहेगी। वर्तमान सांसद व (निवर्तमान भी) विधायकों के अतिरिक्त कोई भी विशिष्ट उपलब्धि प्राप्त हस्ती का नाम उस स्कूल की स्कूल प्रबन्धन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना अनिवार्य है।
- (ग) प्रत्येक अनुमोदन प्राप्त हस्ती द्वारा "अखण्ड शिक्षा ज्योति, मेरे स्कूल से निकले मोती" के गौरव पट्ट पर नाम सम्मिलित करवाने का हक है। स्कूल प्रबन्धन समिति अपने स्तर पर उन महानुभावों का नाम सम्मिलित कर सकती है जिन्होंने कोई गौरवमय उपलब्धि हासिल की हो।
- (घ) इस सभी उपलब्धियों को अलग से स्कूल या स्कूल के बाद विभाग द्वारा Document किया जाएगा।

अतः उपरोक्त स्थिति को मध्यमजर रखते हुए आपको आदेश दिये जाते है कि मामले में भदवार तदानुसार कार्यावाही करें और की गई कार्यावाही से इस निदेशालय को अवगत करवायें।

— ६२-११० —

(वीका मल्होत्रा),  
संयुक्त शिक्षा निदेशक (मह10),  
हिमाचल प्रदेश

शिमला-1 26 जुलाई, 2018

पृष्ठांकन संख्या सम दिनांक  
प्रतिलिपि सुचनार्थ एवम आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला-2, को उनके उपरोक्त वर्णित पत्र संख्या व दिनांक के सन्दर्भ में।
2. रक्षक नरिस।

संयुक्त शिक्षा निदेशक (मह10),  
हिमाचल प्रदेश